कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन,बाणगंगा,भोपाल

क्रमांक 167 /प्र.अ./विधि(पी.ए.)/लोस्वायांवि./2026 भोपाल, दिनांक 02/04/2026

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर की रिट याचिका क्रमांक 205/2025 (संतोष कुमार कोहली विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड शिवपुरी/दतिया के अधीनस्थ कार्यरत श्री संतोष कुमार कोहली, श्री मुन्नालाल कोहली, एवं श्री सुरेश कुमार झबरेले (कार्यभारित हैंडपम्प टेक्नीशियन) के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 03.03.2025 का निराकरण किया जा रहा है।

(1) श्री संतोष कुमार कोहली एवं 02 अन्य (कार्यभारित हैंडपम्प टेक्नीशियन) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर के समक्ष रिट पिटीशन क्र. 205/2025 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

i- That respondent may kindly be directed to regularize services of the petitioners with all consequential benefit and accordingly the arrears be released in favour of petitioners.

ii. That cost of the litigation may also kindly be awarded to the petitioner.

Any other relief which this Hon'ble Couet deems fit in the fact and circumstances of the case same may kindly be granted to the petitioner.

(2) माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा उक्त रिट पिटीशन का निराकरण पारित आदेश दिनांक 20.01.2025 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

Considering the fact that one of the petitioners was already approached to the respondents by submitting representation, I deem it proper to dispose of the present petition with liberty to the petitioners to file freshrepresentation before respondent No.2/Engineer-in-chief, Department of Public Health Engineering, Bhopal (M.P.)

If such representation is filed by the petitioners, respondent No.2 shall consider and decide the same within a period of 45 days from the date of receipt of representation in accordance with applicable rules and circulars by passing a speaking and reasoned order and will communicate the outcome of the same to the petitioners.

It is made clear that this Court has not expressed any opinion on merits of the case.

With the aforesaid, the present petition is disposed of.

(3) रिट याचिका क्र. 205/2025 में पारित निर्णय दिनांक 20.01..2025 के अनुक्रम में वादी कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन दिनांक 03.03.2025, प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो निम्नानुसार है :–

प्रति,

प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग

भोपाल,

विषयः— माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.खंडपीठ ग्वालियर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 205/2025 में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2025 के परिपालन में प्रस्तुत अभ्यावेदन।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से वर्तमान आवेदन पत्र निम्न प्रकार है किः—

1. यह कि प्रार्थी की नियुक्ति विभाग में वर्ष 1993/2007 में विशेष भर्ती अभियान के तहत चयन परीक्षा के उपरातं हैण्डपंप टेक्नीशियन कार्यभारित स्थापना में की गई थी। नियुक्ति के उपरांत से प्रार्थी अनवरत रूप से अपने कार्यों का पालन करता आ रहा है, प्रार्थी के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत अप्राप्त रही है।
2. यह कि यहां उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 1993/2007 की नियुक्ति के उपरांत भी आज भी आज दिनांक तक प्रार्थी को नियमितकरण का लाभ प्रदान नहीं किया गया है, जबकि म.प्र.शासन में 10 वर्ष की सेवायें पूर्ण करने पर कर्मचारी नियमितीकरण हेतु पात्र है। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी 30/17 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है।
3. यह कि प्रार्थी द्वारा नियमितकरण बावत पूर्व में भी कई बार आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये परन्तु आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने के कारण प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.खंडपीठ ग्वालियर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 205/2025 प्रस्तुत किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये है :—

   Considering the fact that one of the petitioners was already approached to the respondents by submitting representation, I deem it proper to dispose of the present petition with liberty to the petitioners to file fresh representation before respondent No.2/Engineer-in-chief, Department of Public Health Engineering, Bhopal (M.P.)

   If such representation is filed by the petitioners, respondent No.2 shall consider and decide the same within a period of 45 days from the date of receipt of representation in accordance with applicable rules and circulars by passing a speaking and reasoned order and will communicate the outcome of the same to the petitioners.

4- यह कि प्रार्थी अनवरत कई वर्षों से कार्य कर रहा है तथा नियमितीकरण हेतु वांछित अर्हता धारित कर रहा है जिस कारण प्रार्थी को नियमितीकरण का लाभ प्रदाय किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी के समकक्ष अन्य कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया जा चुका है, उक्त स्थिति में प्रार्थी भी समान लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 205/2025 में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2025 के प्रकाश में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कार्यवाही किया जाकर प्रार्थी को नियमितीकरण का लाभ 10 वर्ष पूर्ण करने के दिनांक से मय समस्त हितलाभ के साथ भुगतान करने की कृपा करें।

(4) रिट याचिका क्रमांक 205/2025 में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2025 के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड शिवपुरी के अधीनस्थ कार्यरत वादी कर्मचारियों के स्वत्वों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

(i) वादी कर्मचारी क्रमशः श्री संतोष कुमार कोहली, मुन्नालाल कोहली एवं सुरेश कुमार झबरेले सभी कार्यभारित हैण्डपंप मैकेनिकों द्वारा अपने अभ्योवदन दिनांक 03.03.2025 में उल्लेख किया गया है कि म.प्र.शासन में 10 वर्ष की सेवाये पूर्ण करने पर कर्मचारी नियमितीकरण हेतु पात्र हो जाता है। उन्होने इसी आधार पर नियमितीकरण का लाभ चाहा है।

(ii) जहां तक 10 वर्ष की सेवायें पूर्ण करने पर नियमितीकरण की पात्रता का प्रश्न है तो वादी कर्मचारियों ने अपनी रिट याचिका क्रमांक 205/2025 में इस तथ्य के समर्थन हेतु म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5–3/2006/1/3 भोपाल दिनांक 16 मई 2007 को एनेक्सर पी/1 के रूप में प्रस्तुत किया है। किन्तु यह परिपत्र पूर्णतः दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण से सबंधित है। विभाग में कार्यभारित स्थापना भी एक नियमित स्थापना के रूप में मान्य है। ऐसी स्थिति में परिपत्र दिनांक 16.05.2007 के आधार पर कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों को नियमित किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(iii) रिट याचिका क्रमांक 205/2025 की कंडिका 5.4 एवं एनेक्सर पी/5 के माध्यम से यह उल्लेख किया गया है कि म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 457/294/1(3)–अ.प्र./174 दिनांक 14.06.1974 द्वारा कार्यभारित तथा आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यभारित सेवा का गठन किया गया है। यह नवीन सेवा 01 जनवरी 1974 से प्रभावशील है तथा 01 जनवरी 1973 को या इसके बाद जिनकी सेवा 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वे स्थायी सदस्य माने जावेगें तथा 01 जनवरी 1973 के बाद नियुक्त कर्मचारी 10 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने पर ही इस सेवा की स्थायी सदस्यता ग्रहण करेंगें। एनेक्सर पी/5 में यह शिकायत प्रस्तुत की गई है कि याचिकाकर्ताओं को स्थायी घोषित नहीं किया गया है। नियमितीकरण और स्थायी घोषित किया जाना अलग–अलग प्रकियायें है। याचिकाकर्ताओं की स्थायी घोषित किये जाने की मांग उचित प्रतीत होती है।

(iv) "म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.बी.6/8/79/नि–2/चार, भोपाल 18 दिसम्बर 1979 के द्वारा म.प्र.(कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम 1979 बनाये गये है जिसकी कंडिका 2 (ग) के अनुसार स्थायी कर्मचारी से अभिप्रेत है आकस्मिकता से वेतन पाने वाला ऐसा कर्मचारी या कार्यभारित ऐसा कर्मचारी जिसने 01 जनवरी 1974 को या उसके पश्चात 15 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली हो। बाद में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ बी–6/8/79/आर/II/IV/दिनांक 13.09.1982 के माध्यम से निम्न परन्तुक को जोडा गया हैं :–

> परन्तु आकस्मिकता से वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी या कार्यभारित ऐसे कर्मचारी, जिसने 01.04.1981 को या उसके पश्चात अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर ली है, के संबंध में स्थायी कर्मचारी से अभिप्रेत है ऐसा कर्मचारी 01 जनवरी 1974 को या उसके पश्चात 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(v) विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 2–25–2010–1–चौतीस दिनांक 18 सितंबर 2012 के माध्यम से म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 बनाये गये है जो वर्तमान में लागू है तथा उक्त नियम की कंडिका 6 निम्नानुसार हैं :–

> श्रेणीकरण – इन नियमों के प्रयोजनों के लिए कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियो में विभाजित किया जायेगा, अर्थात :–

(क) स्थायी और

(ख) अस्थायी

ऐसा कर्मचारी जिसने 01 जनवरी 2011 को सेवा के 15 वर्ष पूर्ण कर लिये हों, स्थायी कर्मचारी तथा जिसने 01 जनवरी 2011 को सेवा के 15 वर्ष पूर्ण न किये हों अस्थायी कर्मचारी होगा।

(vi) विभाग में संबधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता को कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी घोषित किया जा चुका है। अतः किसी भी कार्यभारित स्थापना के कर्मचारी को स्थायी घोषित किये जाने की कार्यवाही भी परिक्षेत्र स्तर से ही की जानी है।

(5) उपरोक्तानुसार वादी कर्मचारियों क्रमशः श्री संतोष कुमार कोहली, श्री मुन्नालाल कोहली, एवं श्री सुरेश कुमार झबरेले (कार्यभारित हैंडपम्प टेक्नीशियनों) द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 03.03.2025 के माध्यम से प्रस्तुत की गई मांग कि उनका नियमितीकरण किया जावे, प्रकरण के तथ्यो में कोई मेरिट नहीं होने के कारण अमान्य किये जाने योग्य है। यदि याचिकाकर्ता कर्मचारियो का आशय उन्हें स्थायी घोषित किये जाने से है तो इस मांग पर निर्धारित पैरामीटर के तहत विचार कर अधिकतम 15 दिवस के भीतर नियमानुसार परिणाममूलक कार्यवाही करने के लिए मुख्य अभियंता ग्वालियर को निर्देशित किया जाता है।

(6) यदि याचिकाकर्ता श्री संतोष कुमार कोहली, श्री मुन्नालाल कोहली, एवं श्री सुरेश कुमार झबरेले कार्यभारित हैंडपम्प टेक्नीशियन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड शिवपुरी/दतिया इस कार्यालय द्वारा किये गये इस निराकरण से असंतुष्ट है तो वे इस आदेश के विरूद्ध अपनी अपील 01 माह के भीतर प्रमुख सचिव लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रमुख अभियंता

पृ. क्रमांक 2726 /प्र.अ./विधि (पी.ए.)/लोस्वायांवि./2026 भोपाल, दिनांक 02/4/26

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2– मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल ग्वालियर की और सूचनार्थ प्रेषित ।
4– कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड शिवपुरी/दतिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5– संबंधित श्री संतोष कुमार कोहली, पिता के.पी.कोहली/श्री मुन्नालाल कोहली पिता श्री थोवन कोहली कार्यभारित हैण्डपंप टेक्नीशियन, पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6– संबंधित श्री सुरेश कुमार झबरेले पिता श्री किशनलाल झबरेले, कार्यभारित हैण्डपंप टेक्नीशियन, बसई जिला दतिया मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

Speed Post

प्रमुख अभियंता